[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 4/2017-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 19 जून, 2017

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 146 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रीकरण सुकर बनाने, कर के संदाय, विवरणों को प्रस्तुत करने, एकीकृत कर के संगणन और बंदोबस्त और इलैक्ट्रोनिक के माध्यम से बिलों के लिए समान माल और सेवा कर इलैक्ट्रोनिक पोर्टल के रूप में "www.gst.gov.in" को अधिसूचित करती है ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "www.gst.gov.in" से माल और सेवा कर नेटवर्क, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के उपबंधों के अधीन निगमित एक कंपनी है, द्वारा प्रबंधित वेबसाइट अभिप्रेत है ।

2. यह अधिसूचना तारीख 22 जून, 2017 को प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 349/72/2017-जीएसटी]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार